दिनांक 11.07.2021
प्रेस विज्ञप्ति 11/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 10.07.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मयूर बिहार कालोनी से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अली मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–369/2021 धारा 419/420/467/468/471/120बी/177/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अली मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद निवासी 122 कॉटेज सिपह थाना कोतवाली नगर जनपद जौनपुर हालपता लारी हाता कालोनी अली का कटरा थाना वजीरगंज, लखनऊ।

जनपद गाजियाबाद/थाना इंदिरापुरम

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी हुई 21 सोने की चैन**
- **900 रूपये नगद**

- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 10.07.2021 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर त्रिकोना पार्क के पास से 04 अभियुक्तों 1–मनोज उर्फ असलम 2–अजय 3–संजय 4–रमेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी हुई 21 सोने की चैन, 900 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मनोज उर्फ असलम के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 25 अभिययोग, अभियुक्त संजय के विरूद्ध गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी के 20 अभियोग, अभियुक्त अजय के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर लूट व आर्म्स एक्ट के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मनोज उर्फ असलम निवासी ग्राम जुवा थाना सदर सोनीपत, हरियाणा, हाल निवासी मं0नं0–1852/39 जोर बाग दिल्ली।

2–अजय निवासी बी–1 मं0नं0–67 शिवराम पार्क, एक्सटेंशन नांगलोई, दिल्ली।

3–संजय निवासी एफ–13 शिवराम पार्क नांगलोई, दिल्ली।

4– रमेश निवासी एम–98 प्रेमनगर, दिल्ली।

बरामदगी

1—लूटी हुई 21 सोने की चैन।

2— 900 रूपये नगद।

3— 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

4— घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

जनपद खीरी/थाना फूलबेहड़

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **एक अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने/चाँदी के आभूषण बरामद**

दिनांक 11.07.2021 को थाना फूलबेहड़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना फूलबेहड़ क्षेत्र से अभियुक्त सर्वेश को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने के आभूषण (01 मंगलसूत्र, 01 जोड़ी झुमकी, 01 जोड़ी कान का बुन्दा, 01 नाक की कील) व चॉदी के 01 जोड़ी पायल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना फूलबेहड़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फूलबेहड़ पर मु0अ0सं0 288/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद सोने/चॉदी के आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सर्वेश निवासी ग्राम बेलिहान थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी।

बरामदगी

1—लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने के आभूषण (01 मंगलसूत्र, 01 जोड़ी झुमकी, 01 जोड़ी कान का बुन्दा, 01 नाक की कील) व चॉदी के 01 जोड़ी पायल।

जनपद रामपुर/थाना बिलासपुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **30 जीवित, 17 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **44 नाल**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 11.07.2021 को थाना बिलासपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डंडिया वन के जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्तों 1—उस्मान 2—दलजीत 3—ईशाक 4—अवतार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 30 जीवित, 17 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 44 नाल, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—उस्मान निवासी मोहल्ला घेर तोगा थाना गंज जनपद रामपुर।

2—दलजीत निवासी ग्राम पईपुरा थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।श

3—ईशाक अहमद निवासी मौहम्मदपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।

4—अवतार निवासी अलीनगर कोटा थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—30 जीवित, 17 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

4— 44 नाल।

5— शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

<u>जनपद बरेली/थाना फरीदपुर</u>

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 850 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 11.07.2021 को थाना फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहल्ला शान्तिनगर से 03 मादक पदार्थ तस्कर 1—बैजनाथ 2—सुरेन्द्र कुमार 3—इरशाद

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 850 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फरीदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—बैजनाथ निवासी ग्राम हेवई थाना केरेडारी जनपद हजारीबाग, झारखण्ड।

2—सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम हेवई थाना केरेडारी जनपद हजारीबाग, झारखण्ड।

3—इरशाद निवासी शिवपुरी थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 850 ग्राम अवैध अफीम।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत

- **अवैध शराब फैक्ट्री संचालित करने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **900 लीटर अवैध नकली शराब,**
- **शराब फैक्ट्री से सम्बन्धित उपकरण**
- **घटना में प्रयुक्त 05 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 10.07.2021 को थाना कोतवाली बागपत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लक्ष्य पब्लिक स्कूल के पास खंडहर के पास से अवैध शराब फैक्ट्री संचालित करने वाले 08 अभियुक्तों 1—रवि 2—जितेन्द्र 3—संजीत कुमार 4—मोनू 5—ब्रिजेश 6—चेतराम 7—शानू 8—छोटे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 900 लीटर अवैध नकली शराब, नकली शराब बनाने के उपकरण(1,58,279 होलमार्क, सिंथेटिक लिक्विड फुड कलर 500एम.एल. की 07 बोतल, फुड कलर— 06 लीटर वाली 03 केन स्टार ब्रांड, डाई शीट, विभिन्न मार्का रैपर—73,592, खाली बोतल, ढक्कन आदि) व घटना में प्रयुक्त 05 चार पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रवि निवासी एसएलएफ वैध बिहार—124 लोनी गाजियाबाद हालपता—क्वाटम होम फ्लैट राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद।

2—जितेन्द्र निवासी गाव खैला थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3—संजीत कुमार निवासी जे—1903 अंतरिक्ष गोल्फ व्यू—1 सेक्टर—78 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

4–मोनू निवासी मं0नं0–65 वार्ड –13 मोहल्ला कटेडा जलालाबाद थाना भवन जनपद शामली।

5–ब्रिजेश निवासी बी–388 सदरपुर सेक्टर–45 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

6–चेतराम निवासी जवाहरनगर चौक बाकेबिहारी वाली गली निकट अम्बेडकर पार्क शाहदरा दिल्ली।

7–शानू निवासी सराफाबाद निकट यादव पब्लिक स्कूल सेक्टर–73 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

8–छोटे निवासी उसमानपुर साडे तीन पुरस्ता करतानगर गली नं0–2 मं0नं0–बी–2 थाना उसमानपुर, दिल्ली।

बरामदगी

1–900 लीटर अवैध नकली शराब।

2–नकली शराब बनाने के उपकरण(1,58,279 होलमार्क, सिंथेटिक लिक्विड फुड कलर 500एम.एल. की 07 बोतल, फुड कलर– 06 लीटर वाली 03 केन स्टार ब्रांड, डाई शीट, विभिन्न मार्का रैपर–73,592, खाली बोतल, ढक्कन, खाली पेटी आदि)

3– घटना में प्रयुक्त 05 चार पहिया वाहन ।

––––––